इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2013—पौष 21, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 252-18-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 जनवरी 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१३

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ७ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक ११ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१)(क) प्रत्येक उत्पादन कम्पनी, उस विद्युत ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में यथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा :

परंतु ऐसी किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा जिसमें कि मध्यप्रदेश शासन का इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा (इक्विटी) हो.

(ख) किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस विद्युत् ऊर्जा की, जो विहित कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, कुल यूनिटों पर ऊर्जा विकास उपकर पन्द्रह पैसे प्रति यूनिट की दर से, विहित रीति में, यथा विहित समय पर, राज्य सरकार को चुकाएगा :

परंतु किसी कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का स्वामी या उसका संचालन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं उपभुक्त की गई विद्युत् ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ''उत्पादन कम्पनी'', ''व्यक्ति'', ''कैप्टिव उत्पादन संयंत्र'', ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' और ''उपभोक्ता'' के वही अर्थ होंगे जो विद्युत् अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) की धारा २ में उनके लिए दिए गए हैं.''.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 253-18-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 OF 2013

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012.

[Received the assent of the Governor on the 7th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012. **Short title.**

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 3.**

"(1) (a) Every Generating Company shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of fifteen paise per unit on the total units of electrical energy sold or supplied to a distribution licensee or consumer in the State of Madhya Pradesh or consumed by itself or its employees during prescribed period :

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy sold or supplied by any Generating Company in which the Government of Madhya Pradesh has fifty one percent or more equity.

(b) Every person owning or operating a captive generating plant shall pay to the State Government at the prescribed time and in the prescribed manner an energy development cess at the rate of fifteen paise per unit on the total units of electrical energy sold or supplied to a distribution licensee or consumer in the State of Madhya Pradesh or consumed by its employees during prescribed period :

Provided that no cess shall be payable in respect of electrical energy consumed himself by any person owning or operating a captive generating plant.

Explanation.—For the purpose of this sub-section "Generating Company", "person", "captive generating plant", "distribution licensee" and "consumer" shall have the same meaning as assigned to them in Section 2 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003).".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.